संख्या– 465 /XIX/05–15/खाद्य/2005

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तरांचल,देहरादून।

खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः 31 मार्च, 2005

विषयः जनपद देहरादून में ट्रांस्पोर्ट नगर स्थित खाद्य विभाग की भूमि पर खाद्यान्न गोदाम निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून में ट्रांस्पोर्ट नगर स्थित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की भूमि पर 4,800 मी0टन खाद्यान्न क्षमता का गोदाम निमार्ण हेतु परियोजना प्रबंधक, यूनिट–I, कनस्ट्रक्शन–विंग, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, इन्दिरा नगर, देहरादून द्वारा तैयार रूपये 136.95 लाख के आंगणन को T.A.C. द्वारा परीक्षणोपरान्त रू0 136.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए प्रथम किस्त के रूप में निर्माण कार्य के लिए रू0 48.00 लाख (रूपये अड़तालिस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा। पुनः पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नही होगा।
2. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतांए तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों व विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

7. आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

8. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

9. स्वीकृत कार्यो पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन कडाई से किया जायेगा।

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31/3/2005 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही प्लान आउटले के अनुसार आगामी किस्त स्वीकृत की जायेगी।

11. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय एंव इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण इकाई कार्यदायी सस्था का होगा।

12. स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2004-05 के अनुदान संख्या 25-लेखाशीर्षक 4408-खाद्य भण्डारण एंव भण्डारागारण पर पूंजीगत परिव्यय-02-भण्डारण तथा भण्डारागारण-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-00-06- गोदामों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0- 2028/वित्त अनु0-3/2005 दिनांकः 31मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(पी0सी0शर्मा)
सचिव।

संख्या- 465 (1)/ XIX/05-15/खाद्य/2005, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,उत्तरांचल ओबराय भवन माजरा, देहरादून।
2. वित्त नियंत्रक, खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति,उत्तरांचल,देहरादून।
3. आयुक्त गढवाल मण्डल, पौडी गढ़वाल।
4. अपर आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, देहरादून।
5. जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
7. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल सम्भाग, देहरादून।
8. वरिष्ठ संभागीय वित्त अधिकारी, गढवाल सम्भाग,देहरादून।
9. परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-1, कनस्ट्रक्शन -विंग, उत्तराचंल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, इन्दिरा नगर, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
11. समन्वयक एन0आई0सी0, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
सचिव।